न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण कं-40/2018</u> <u>संस्थित दिनांक-22.02.201</u>8

मध्यप्रदेश	राज्य	द्वारा
आरक्षी के	न्द्र चंदे	रेरी
जिला अश	ोकनग	ार ।

....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. समरथ पुत्र मंगल सिंह कुशवाह उम्र 54 साल
- 2. भगवान पुत्र समरथ कुशवाह उम्र 23 साल
- 3. मोहन बाई पत्नी समरथ कुशवाह उम्र 50 साल निवासीगण ग्राम फतेहाबाद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.03.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 (ए), 323 अथवा 323/34, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने फरियादी रामसखी के विवाह के एक वर्ष से 25. 09.2017 तक एवं दिनांक 25.09.2017 को सुबह 08:00 बजे ग्राम फतेहाबाद में फरियादियां रामसखी कुशवाह के पित अथवा पित के नातेदार होते हुये, फरियादियां से दहेज में मोटरसाईकिल एवं एक लाख रूपये की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की एवं अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामसखी कुशवाह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया रामसखी कुशवाह की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व उसे जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादियां रामसखी कुशवाह की शादी निवासी फतेहाबाद के समरथ के पुत्र भगवानदास कुशवाह के साथ हुई थी, शादी के एक साल तक रामसखी को ससुराल वालों ने सही रखा, उसके बाद से रामसखी के ससुराल वालें उसे मोटरसाईकिल दहेज में कम देने का ससुर समरथ, सास मोहनबाई, एवं पित भगवानदास ताने देने लगे और मोटरसाईकिल और एक लाख रूपये लाने की मांग करने लगे, रामसखी ने कहा पिता के पास जो था वह शादी में खर्च कर दिया, अब एक लाख

और मोटरसाईकिल नहीं दे सकते, तो मोहनबाई व भगवानदास इसी बात पर रामसखी को परेशान और प्रताडित करने लगे दिनांक 25.09.2017 को सुबह 08:00 बजे मोटरसाईकिल की मांग को लेकर भगवानदास, समरथ व मोहनबाई ने रामसखी की मारपीट की, जिससे पीठ ओर कमर में मुंदी चोट आई और तीनों ने कहा कि रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादियां रामसखी द्वारा दिनांक-25.09.2017 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 450/17 अंतर्गत धारा– 498 (ए), 323, 506, 34 भा०द०वि० के तहतु प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—09.03.2018 को फरियादी रामसखी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा-323/34, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा०द०वि० की धारा ४९८ (ए) शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूटा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्तगण ने फरियादी रामसखी कुशवाह के विवाह के एक वर्ष से 25.09.2017 तक एवं दिनांक 25. 09.2017 को सुबह 08:00 बजे ग्राम फतेहाबाद में फरियादियां रामसखी कुशवाह के पति अथवा पति के होते हुये, फरियादियां से दहेज मोटरसाईकिल एवं एक लाख रूपये की मांग करते ह्ये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की ?
 - दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06-प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से मात्र प्रकरण फरियादी रामसखी बाई (अ०सा०-1) के कथन न्यायालय में कराये गये। रामसखी बाई (अ०सा0—1) का अपने कथनों में कहना है कि उसके विवाह ग्राम फतेहाबाद में पांच—छः साल पहले हुआ था, विवाह के बाद उसका पित से मामूली बातों को लेकर विवाद हो जाता था तथा इसके अलावा उसका ससुराल वालों से कोई विवाद नहीं हुआ। फरियादी के अनुसार रिपोर्ट करने से कुछ दिन पूर्व उसके पित ने घरेलू बातों को लेकर उसके साथ मारपीट ओर धक्का—मुक्की कर दी थी जिससे उसके पीठ और कमर में थोडी चोट आई थी, जिसके बाद उसने पुलिस थाना चंदेरी में प्रदर्श—पी—01 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 07—रामसखी बाईं (अ०सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त न्यायालीन कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत है तथा इस साक्षी के न्यायालीन कथन एवं पुलिस को दिये गये कथन व प्र.पी.—01 के आवेदन में वर्णित में वर्णित घटना में गम्भीर तात्विक विरोधाभास देखा जा सकता है। अभियोजन का समर्थन न करे के कारण रामसखी बाई (अ०सा0—1) को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उसका विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु रामसखीबाई (अ०सा0—1) ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया।
- 08—रामसखी बाईं (अ0सा0—1) ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया है कि शादी के एक साल बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे कम दहेज को लेकर प्रताडित कर रहे थे तथा मायके से मोटरसाईकिल लाने की कहता थे। फरियादी ने अपने कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि आरोपीगण उससे मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये लाने की मांग करते थे तथा फरियादी का स्वयं ही यह कहना है कि उसने ऐसी कोई घ ाटना अपने माता—पिता को नहीं बताईं। फरियादी ने इस बात का भी खण्डन किया है कि दिनांक 25.09.2017 को सुबह 08:00 बजे अभियुक्तगण ने उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट की थीं, जिसके बारे में उसने अपने भाई को बताया था। रामसखी बाई (अ0सा0—1) का अभियोजन के विरूद्ध यह स्पष्ट कहना है कि प्र.पी.—01 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श—पी—03 के कथन उसने पुलिस को लेख नहीं कराये। फरियादी का कहना है कि वह पढी—लिखी नही है, केवल हस्ताक्षर करना जानती है। उसने रिपोर्ट इस्ताक्षर करने से पहले न तो स्वयं रिपोर्ट पढी थी और न ही पुलिस ने रिपोर्ट और कथन उसे पढकर सुनाये थे।
- 09-रामसखी (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण ने उसे दहेज की मांग को लेकर न तो कभी प्रताडित किया न ही उसके साथ कभी कोई मारपीट की, बल्कि उसका मात्र पित से मामूली बातों पर झगडा होता था। जिसके संबंध में उसने थाने पर प्र.पी.-01 की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिसमें लिखी अंतरवस्तु की उसे जानकारी नही है और न ही पुलिस द्वारा लेख किये गये प्रदर्श-पी-03 के कथनों में वर्णित घटना उसने पुलिस को बताई।

- (4)
- 10—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श—पी—01 की रिपोर्ट भले ही फरियादिया रामसखी ने थाने पर स्वयं लेख कराईं एवं उस पर हस्ताक्षर किये थे, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श—पी—01 की रिपोर्ट उसमें वर्णित घटना की अपने आप घटना का निश्चायक प्रमाण नहीं है, उसे मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक था, परन्तु रामसखी (अ0सा0—1) के द्वारा प्रदर्श—पी—01 में वर्णित घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने उसे शादी के बाद मोटनरसाईकिल व एक लाख रूपये की मांग को लेकर किसी भी प्रकार से प्रताडित या तंग किया अथवा उसके साथ मारपीट की। फरियादी मात्र अपने पित से घरेलू बातों को लेकर विवाद होना बताती है और इसी की रिपोर्ट भी थाने पर करना बताती है।
- 11—अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद कभी भी फरियादी रामसखी को दहेज के रूप में मोटरसाईकिल एवं एक लाख रूपये लाने के लिये प्रताडित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी। फरियादी का स्वयं यह कहना है कि उसका पित से घरेलू बातों पर विवाद हुआ था और इसी बात पर उसके पित ने उसके साथ मारपीट की थी। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार फरियादी व उसके पित के मध्य पित—पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे।
- 12—अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रामसखी (अ0सा0—1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षित या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सिहत अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्तगण ने फरियादी रामसखी (अ0सा0—1) को या उसके परिजन को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रताडित किया।
- 13—परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रामसखी कुशवाह के विवाह के एक वर्ष से 25.09.2017 तक एवं दिनांक 25.09.2017 को सुबह 08:00 बजे ग्राम फतेहाबाद में फरियादियां रामसखी कुशवाह के पित अथवा पित के नातेदार होते हुये, फरियादियां से दहेज में मोटरसाईकिल एवं एक लाख रूपये की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की।
 - 14—फलतः अभियुक्तगण समरथ पुत्र मंगल सिंह कुशवाह, भगवान पुत्र समरथ कुशवाह एवं मोहन बाई पत्नी समरथ कुशवाह को भा.द.वि. की धारा 498 (ए) के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 498 (ए) के तहत् दण्डनीय अपराध के

आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

15—अभियुक्तगण धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)